MCDR-MiFLOBXT/128/2022-GNR-IBM_RO_GNR

I/18600/2023

पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई –मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/कच्छ/बॉक्सा- 11 Mine code 07GUJ10016 ID दिनांक:

सेवा में : Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.
Calcined Bauxite Project,
Gadhsisa, Taluka- Mandvi- 370 445
Kachchh (GUJ)
e mail – gadhsisa@gmdcltd.com

विषय: गुजरात राज्य के जिले- कच्छ की तालुका- अब्दासा में स्थित आपकी Mothala-Balachod बॉक्साइट खान, क्षेत्रफल- 280.768 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का स्टार रेटिंग निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.09.2023 को श्री वी.एच.सोलंकी, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
26(2)	नियमानुसार अनुमोदित प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर के अनुसार खान के संरक्षण एवं पुनरूद्वार (Protective and Rehabilitation) हेतु प्रस्तावित एवं वास्तविक रूप से किए गये कार्यो की वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष 1 जुलाई तक क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर को प्रस्तुत करनी चाहिए। निरीक्षण के समय पाया गया कि आपके द्वारा वर्ष **2022-23** के लिए प्रस्तुत रिपोर्ट में किए गए वृक्षारोपण की संख्या 220 तथा वार्षिक विवरणी में 270 दर्शाई गयी है।

I/18600/2023

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

०३. उपरोक्त उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) को भी प्रभावित करता है। खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

०४. अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

16.10.2023

(मनीष गुप्ता)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नही) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

३. रक्षित पत्रावली।

16.10.2023

सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो